प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा I) का कार्यालय, केरल, तिरुवनंतपुरम

(प्रशिक्षण केन्द्र)

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT I) KERALA, THIRUVANANTHAPURAM (TRAINING CENTRE)

सं.ले.प/प्रशिक्षण/11-3/2023-24/

दिनांक: 04 अगस्त 2023

अनुभागीय आदेश सं./ SECTIONAL ORDER NO.141

प्र.म.ले (लेखापरीक्षा I) कार्यालय से संबंधित निम्नलिखित पदाधिकारियों को 21.08.2023 से 26.08.2023 तक ऑनसाइट मोड के माध्यम से आरटीआई, चेन्नई द्वारा आयोजित किए जाने वाले मिड-कैरियर प्रशिक्षण स्तर 2 कार्यक्रम के लिए नामित किया गया है। उनसे अनुरोध है कि 21.08.2023 को सुबह 9.45 बजे आरटीआई चेन्नई में रिपोर्ट करें।

The following officials belonging to the Office of the PAG (Audit I) are nominated for Mid-career training Level 2 programme to be conducted by RTI, Chennai through onsite mode from 21.08.2023 to 26.08.2023. They are requested to report at RTI Chennai on 21.08.2023 at 9.45 am.

क्र.सं.	नाम एव पदनाम	अनुभाग/ स्कंध	कार्यालय
Sl. No	Name & Des(Shri/Smt)	Section/Wing	Office
1.	Asha Deepa SM, AAO	AMG II (HQ)	
2.	Sunil Kumar K, AAO	AMG I Pty	Audit I
3.	Bijoy Sasi, AAO(C)	F&CA	

प्रतिभागी अपने आधिकारिक ईमेल आईडी का उपयोग करके साई प्रशिक्षण पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण और प्रतिक्रिया प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। अधिकारी को साई प्रशिक्षण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रभाव मूल्यांकन को पूरा करने के लिए भी सूचित किया जाता है, जिसे प्रशिक्षण के अंतिम दिन से 3 महीने पूरा होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना है।

The participants may complete the registration and feedback process through SAI Training Portal using their Official email IDs. The officials are also informed to complete the online impact assessment through SAI Training Portal which is to be submitted within 20 days from the date of completion of 3 months of the last day of Training.

(प्रधान महालेखाकार के दिनांक 03 अगस्त 2023 के आदेशानुसार)

Sd/-

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / प्रशिक्षण Senior Audit Officer/Training

प्रतिलिपि/Copy to:

1.	अनुभागीय आदेश बुक/सूचना पट्ट	4.	व.ले.प.अ /प्रशा./रोकड़, हक (ले.प- I)/(ले.प- II)
2.	संबंधित अधिकारी	5.	प्र.म.ले. (ले.पI)/(ले.पII) के सचिव/निजी सचिव
3.	संबंधित समूह अधिकारी	6.	सी सेल/आईटी समर्थन कक्ष/हिन्दी कक्ष/सामान्य कक्ष/पी ए ओ/ आई ए